

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. समस्त मण्डलायुक्त
उ०प्र०। | 2. समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र०। |
| 3. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ | 4. आयुक्त,
ग्राम विकास विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ |
| 5. निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उ०प्र० लखनऊ | |

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ:: दिनांक: 27 जुलाई, 2023

विषय-निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गो आश्रय स्थलवार माइक्रो मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु कृत संकल्पि है। इस हेतु उ०प्र० के समस्त ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या-4324 / सैतीस-2-2018-5(53) / 2018, दिनांक 02.01.2019 द्वारा किया गया है। अग्रेतर उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 28.01.2019 द्वारा परामर्शी मार्ग निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस योजना के क्रियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-3256 / सैतीस-2-2019-30(4) / 2019, दिनांक 08.08.2019 द्वारा 'मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' का प्रख्यापन किया गया है। महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-4938 / सैतीस-2-2020-30(4) / 19, दिनांक 12.09.2020 द्वारा 'मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य प्रतिपशु प्रतिदिन के आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु यह निर्णय लिया गया है कि 'राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि में कुछ अंश पूल कर जिस ग्राम पंचायत में गो आश्रय स्थल स्थापित है, के साथ शेयर किये जाने तथा इस निमित्त उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-16ए के अधीन व्यवस्था की जाये।' उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-16ए में यह व्यवस्था है कि 'ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यों को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती हो, जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे।' उक्त के क्रम में पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1347 / 33-3-2022, दिनांक 03.07.2022

द्वारा ग्राम पंचायत में स्थापित गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. निराश्रित गोवंश/दुर्घटना ग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटल कैचर/मल्टी परपज वेहिकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1854/33-2-2022-5913/2019, दिनांक 03.08.2022 में यह व्यवस्था है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की आवश्यकतानुसार कैटल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल वाहन का क्रय कर सकते हैं अथवा किराये पर रख सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त इस पूरे कार्य को भी आउटसोर्स प्रति पशु के दर पर करते हुए संचालित किया जा सकता है। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत इस पर आने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग/स्वयं की आय से वहन किया जा सकता है।

4. निराश्रित गोवंश का शत-प्रतिशत संरक्षण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-822/सैंतीस-2-2022-5(53)/2018टी०सी०-1, दिनांक 01.06.2023 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि अस्थायी गो आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु स्थल चयन कर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये। यह कार्य मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण (convergence) से कराया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रश्नगत स्थल land एवं location के अनुसार समुपयुक्त हो। प्रत्येक चिन्हित स्थल के अन्तर्गत एक कैचमेन्ट एरिया का निर्धारण कराया जाय, जिनमें ग्राम पंचायतें स्पष्ट रहें। यह कैचमेन्ट एरिया स्थानीय निराश्रित गोवंश की संख्या के अनुरूप निर्धारित की जाय यथा 5 से 10 ग्राम पंचायतें, जिससे कि इस कैचमेन्ट एरिया में यदि निराश्रित गोवंश मिलता है तो उसे सम्बन्धित आश्रय स्थल पर संरक्षित किया जा सके।

5. गो आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबन्धन को सुगम बनाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-80सी०एम०/सैंतीस-2-2023-5(53)/2018टी०सी०-6, दिनांक 18.04.2023 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि गोवंश आश्रय स्थलों/सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन डी०बी०टी० (DBT) के माध्यम से किया जाय। शासनादेश संख्या-1538/सैंतीस-2-2023-5(53)/2018टी०सी०-6, दिनांक 11.07.2023 द्वारा डी०बी०टी० (DBT) के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण किये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

6. प्रदेश में सम्प्रति 6024 अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना की गयी है, जिनमें कुल 930601 गोवंश संरक्षित किये गये हैं। 'मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत कुल 97927 इच्छुक व्यक्तियों/पशुपालकों को 183811 गोवंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में कुल 414 स्थायी गो संरक्षण केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें 282 क्रियाशील केन्द्रों में कुल 140870 गोवंश को संरक्षण कर उनका भरण-पोषण किया जा रहा है।

7. निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों की जनपदवार अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है। उपर्युक्त शासनादेश एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने की आवश्यकता है:-

- (1) जिलाधिकारी स्तर से प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय व्यवस्था, उपलब्ध पशु आहार, अवसंरचना के रखरखाव व विस्तारीकरण आदि के माइक्रो मैनेजमेंट (Micro Management) का सघन पर्यवेक्षण किया जाये।
- (2) कतिपय जनपदों में गो आश्रय स्थलों पर एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग की धनराशि कम है और कुछ जनपदों में उक्त धनराशि का उपभोग भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः संलग्न रिपोर्ट का अध्ययन कर गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग में तेजी लायी जाये एवं उक्त फण्ड का

7. निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण से सम्बन्धित योजनाओं / कार्यक्रमों की जनपदवार अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है। उपर्युक्त शासनादेश एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने की आवश्यकता है:
- (1) जिलाधिकारी स्तर से प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध पशु आहार, अवसंरचना के रखरखाव व विस्तारीकरण आदि के माइक्रो मैनेजमेंट (Micro Management) का सघन पर्यवेक्षण किया जाये।
 - (2) कतिपय जनपदों में गो आश्रय स्थलों पर एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग की धनराशि कम हैं और कुछ जनपदों में उक्त धनराशि का उपभोग भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः संलग्न रिपोर्ट का अध्ययन कर गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग में तेजी लायी जाये एवं उक्त फण्ड का समुचित समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इस निमित्त खण्ड विकास अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये।
 - (3) आवश्यकतानुसार कैटल कैचर / मल्टीपरपज वेहिकल एवं इसके परिवहन हेतु ट्रैक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों पर बेहतर ढंग से पुनर्वासित किया जा सके। कुछ जनपदों में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कैटल कैचर नहीं लिये गये हैं तथा अनेक स्थानों पर ट्राली हैं परन्तु ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। इसे सुनिश्चित किया जाये।
 - (4) निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु यथावश्यकता अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाय और क्रियाशील आश्रय स्थलों में गहन समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शेड आदि की युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
 - (5) स्वीकृत किये गये गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाये।
 - (6) मा० मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत सुपुर्दगारों का सत्यापन विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों की टीम लगाकर की जाये। यह बेसलाइन सर्वे (Baseline Survey) अत्यावश्यक है।
 - (7) स्थानीय ग्रामीणों को ही समुचित मानदेय पर आश्रय स्थलों में कार्य पर रखा जाए तथा ब्लाक स्तरीय सफाई कर्मियों को इस निमित्त न लगाया जाए। (8) डी०बी०टी० (DBT) व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु आधार सीडिंग, डाटालाकिंग एवं कर्मियों का प्रशिक्षण तेजी से कराया जाए।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शत-प्रतिशत निराश्रित गोवंश को गो संरक्षण केन्द्रों/ गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर
मुख्य
(दुर्गा शंकर मिश्र) 2023 14:04:42
मुख्य सचिव approved

समुचित समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इस निमित्त खण्ड विकास अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये।

- (3) आवश्यकतानुसार कैटल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल एवं इसके परिवहन हेतु ट्रैक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों पर बेहतर ढंग से पुनर्वासित किया जा सके। कुछ जनपदों में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कैटल कैचर नहीं लिये गये हैं तथा अनेक स्थानों पर ट्राली है परन्तु ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। इसे सुनिश्चित किया जाये।
- (4) निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु यथावश्यकता अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाय और क्रियाशील आश्रय स्थलों में गहन समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शेड आदि की युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- (5) स्वीकृत किये गये गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य शीघ्र प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाये।
- (6) 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत सुपुर्दगारों का सत्यापन विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों की टीम लगाकर की जाये। यह बेसलाइन सर्वे (Baseline Survey) अत्यावश्यक है।
- (7) स्थानीय ग्रामीणों को ही समुचित मानदेय पर आश्रय स्थलों में कार्य पर रखा जाए तथा ब्लाक स्तरीय सफाई कर्मियों को इस निमित्त न लगाया जाए।
- (8) डी0बी0टी0 (DBT) व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु आधार सीडिंग, डाटालाकिंग एवं कर्मियों का प्रशिक्षण तेजी से कराया जाए।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शत-प्रतिशत निराश्रित गोवंश को गो संरक्षण केन्द्रों/गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या-1706(1)/सैंतीस-2-2023-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- प्रमुख सचिव स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या - 1706 (1) / सैंतीस -2-2023-तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन ।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन ।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन ।
4. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,


(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

निराश्रित गोवश संरक्षण की जनपदवार अद्यतन प्रगति

क्र० सं०	जनपद	कुल संरक्षित (अ०गोआर०, कान्हा, काजी हाऊस, वृहद)			सहभागिता			कुल संरक्षित (अ०गोआर० र०, कान्हा, काजी हाऊस, वृहद, मूल गोवश एवं सहभागिता)	एस० एक० सी० प्रतिग (धनराशि रु० में)	कैल कर	अभ्युक्ति					
		तक्ष	संसाह में संरक्षित	क/मिक व/श्रित	अवर श्रित गोव श	सांताहिक	कमिक				शह शे	शमी ण	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Agra	16916	0	17127	0	0	0	4	1844	1848	17127	0.00	1606394.00	7	16	23
2	Aligarh	28559	77	31201	0	0	0	30	3854	3884	32057	0.00	1969000.00	4	6	10
3	Ambedkar Nagar	7019	0	5132	0	0	0	63	1878	-1941	8531	50401.00	2390652.00	4	4	8
4	amethi	12475	53	11882	0	0	8	309	2309	2618	14500	632352.00	19245122.00	1	3	4
5	Amroha	2291	20	3021	0	0	2	4	699	703	3021	0	2103900.00	4	0	4
6	Auraiya	12724	0	10836	0	0	0	6	1817	1823	12983	35000.00	2275500.00	2	1	3
7	Ayodhya	11503	30	11793	0	0	0	20	2305	2325	11793	36733.00	2164872.00	6	1	7
8	Azamgarh	8423	0	2825	0	0	0	2	2823	2825	5491	126281.00	14096520.00	2	2	4
9	badayun	29760	0	29836	0	0	0	6	6376	6382	29836	23058.00	349388.00	3	9	12
10	Baghpat	4847	11	5244	0	0	3	11	1014	1025	5244	0.00	1408501.00	2	6	8
11	Bahraich	18988	139	14413	0	0	7	610	2315	2925	18450	47850.00	16383318.00	3	4	6
12	Baliya	3910	0	2649	0	0	0	1	426	427	3624	0.00	2513445.00	10	6	16
13	Bairampur	9248	0	8480	0	0	0	1	772	773	9253	0.00	1632000.00	1	1	2
14	Banda	47658	0	61596	0	0	0	58	6682	6740	68336	0.00	2571000.00	3	1	4
15	Barabanki	10097	1414	21698	0	0	7	60	3507	3567	25465	0.00	12009237.00	2	15	17

16	Bareilly	6972	0	3146	0	0	0	0	25	1920	1945	7414	0.00	2045466.00	2	15	17
17	Basti	12500	5	8524	0	0	0	0	0	1588	1588	12558	0.00	2100000.00	3	14	17
18	Bhadohi	6300	0	5178	0	0	0	0	0	1165	1165	6343	0.00	2650639.00	2	1	3
19	Bijnor	5120	51	6461	0	0	1	2	2	1023	1025	7496	50454.00	5140531.00	3	0	3
20	Bulandshahr	17860	2	18234	0	0	0	0	0	5022	5022	18234	1002002.00	6308997.00	4	0	4
21	Chandauli	3667	0	3680	0	0	0	0	0	1111	1111	3680	40000.00	1167800.00	2	0	2
22	Chitrakoot	68813	0	55355	0	0	0	0	0	711	711	55355	0.00	222500.00	3	2	5
23	Deoria	2194	0	1776	0	0	0	10	10	307	317	2489	0.00	1797085.00	10	4	14
24	Etah	4324	4	5165	0	0	0	11	11	1712	1723	5165	1368053.00	2181413.00	3	9	11
25	Etawah	11066	290	8991	73	0	0	0	0	1643	1643	10993	0.00	10382315.00	4	8	12
26	Farrukhabad	9703	0	10063	0	0	0	40	40	3121	3161	13784	0.00	9823759.00	3	4	7
27	Fatehpur	19931	0	20010	0	0	0	84	84	1556	1640	20010	0.00	8648046.00	2	4	6
28	Firozabad	8836	10	7330	0	0	7	5	5	724	729	8488	0.00	3426191.00	5	7	12
29	gautamb nagar	6942	35	7556	0	0	0	0	0	0	0	7847	0.00	755000.00	5	0	5
30	Ghaziabad	5268	6	5787	0	0	0	6	6	859	865	5787	0.00	321000.00	3	0	3
31	Ghazipur	8000	1	8099	0	0	0	53	53	1380	1451	8098	52000.00	4052991.00	2	8	10
32	gonda	26300	0	23397	0	0	0	49	49	2015	2064	26348	0.00	1335200.00	7	5	12
33	Gorakhpur	10186	0	9399	0	0	0	7	7	320	327	10196	0.00	327000.00	4	2	6
34	Hamirpur	42830	0	35287	0	0	0	814	814	6583	7397	42684	0.00	29000.00	2	1	3
35	Hardoi	29377	7	43464	0	0	0	30	30	6399	6429	49893	0.00	5499230.00	6	20	26
36	Hathras	15178	0	13804	0	0	0	56	56	1338	1394	15198	144945.00	5448814.00	4	0	4
37	Hapur	4091	0	4091	0	0	0	2	2	748	750	4091	10000.00	162069.00	3	0	3
38	Jalaun	38650	0	39671	0	0	0	15	15	3304	3319	43253	0.00	721434.00	5	2	7

39	Jaunpur	18024	42	18008	16	0	30	46	2359	2405	22664	0.00	5423702.00	4	21	25
40	Jhansi	41617	0	41617	0	0	0	125	4613	4738	41937	0.00	1539776.00	3	9	12
	kannauj	8623	45	8557	0	0	1	38	1950	1988	8557	0.00	642378.00	4	3	7
42	Kanpurdeha	8095	0	8308	0	0	0	5	477	482	11018	0.00	2612231.00	4	4	8
43	Kanpurdeha	26775	0	26775	0	0	0	101	2885	2986	26775	0.00	17209916.00	5	2	7
44	Kasganj	4686	0	3930	0	0	0	6	1547	1553	5483	60000.00	764000.00	2	1	3
45	Kaushambi	13817	0	12689	0	0	0	8	1120	1128	13817	0.00	2180000.00	2	4	6
46	Kheri	22131	1	18276	0	0	0	52	6766	6818	27453	0.00	4358466.00	4	10	14
47	Kushinagar	1588	0	982	0	0	0	1	492	493	1856	0.00	144000.00	3	1	4
48	lalitpur	43498	10	43513	0	0	0	156	9040	9196	43513	1000000.00	3600000.00	3	6	9
49	Lucknow	25249	0	1160	0	0	0	88	5970	6058	38354	0.00	19553736.00	7	5	12
50	Maharajganj	4899	0	5147	0	0	5	4	528	532	5147	0.00	300000.00	2	1	3
51	Mahoba	61765	0	36914	0	0	40	132	5597	5729	42643	0.00	368613.00	1	3	4
52	Mainpuri	7716	11	4634	0	0	0	141	1186	1327	10336	0.00	1644568.00	4	0	4
53	Mathura	18556	123	22688	0	0	0	27	1730	1757	22688	0	1234422	2	8	10
54	Mau	4368	0	5200	0	0	0	1	436	437	5200	0.00	5394381.00	2	1	3
55	Meerut	7019	15	7187	0	0	92	2	1502	1516	8703	42000.00	4438570.00	8	0	8
56	Mirzapur	6379	7	5041	0	0	0	22	1016	1038	6816	0.00	988711.00	2	2	4
57	Moradabad	3599	20	3599	0	0	0	3	498	501	3599	20000.00	2650000.00	2	4	6
58	muzaffernagar	5736	0	3825	0	0	0	6	2042	2048	6461	220136.00	12477146.00	2	3	5
59	Pilibhit	10043	0	3235	0	0	0	16	3606	3622	10043	0.00	1864000.00	8	6	14
60	Pratapgarh	14128	0	14128	0	0	0	17	2042	2059	17067	0.00	35300.00	3	1	4
61	Prayagraj	28816	0	28950	0	0	6	0	3484	3484	28950	2192287.00	16571427.00	10	1	11

62	Rae Bareilly	20513	0	20746	0	0	0	0	34	2085	2119	20746	0	3020429	1	14	15
63	Rampur	1529	0	1369	0	0	0	0	0	86	86	1529	0	5194955	4	0	4
64	Saharanpur	3734	0	3959	0	0	11	0	0	1074	1074	3959	26418.00	11358852.00	4	3	7
65	Sambhal	8043	0	10685	0	0	0	21	0	1943	1964	12649	0.00	2445910.00	3	6	9
66	Sant Kabir Nagar	3090	0	3264	0	0	19	0	0	724	724	3264	19793.00	809259.00	1	0	1
67	Shahjahanpur	9862	54	13382	0	0	45	0	0	6140	6185	13382	34309.00	7979626.00	7	8	15
68	Sharnli	4228	45	5000	0	0	0	0	0	1553	1553	5000	68999.00	6972105.00	2	1	3
69	Shravasti	10608	17	9768	0	0	0	0	0	1053	1053	1053	11777.00	839000.00	1	3	4
70	Siddharthnagar	8393	0	8275	0	0	0	13	0	2398	2411	10686	73000.00	734290.00	2	2	4
71	Sitapur	21031	499	11074	0	0	5	20	0	3677	3697	33486	0.00	2958306.00	7	0	7
72	Sonbhadra	2914	0	1707	0	0	0	0	0	642	642	2955	0.00	463317.00	3	0	3
73	Sultanpur	4026	30	8024	0	0	0	6	0	1893	1899	9923	0.00	6387000.00	1	5	6
74	Unnao	29450	0	29507	0	0	0	66	0	4302	4368	33875	0.00	5250000.00	9	0	9
75	Varanasi	12449	0	12722	0	0	0	56	0	2506	2562	12722	0.00	3103264.00	9	1	10
total				1046046	89		289	3607	174132	177739	1225424	6487848.00	0	320776985.00	3	320	600